जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 12.09.22

थाना लोनी बोर्डर पर तख्ती लेकर हत्या के वाछित अभियुक्त द्वारा आत्मसर्मपण किया गया

आज दिनांक 12.09.2022 को थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत मु0अ0स0 519/22 धारा 302 /201 /34 भादिव0 से सम्बिन्धत अभियुक्त सुहैल पुत्र शकील नि0 मुस्तफाबाद इकरामनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा हाथ मे तख्ती लेकर जिस पर "जिस पर कप्तान साहब माफ करो, एसपी देहात साहब माफ करो, मैं एन्काउन्टर के डर से सरेन्डर करने आया हूँ, आगे से जीवन मे कोई अपराध नहीं करुंगा" लिखा है आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त सुहैल उपरोक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। चूंकि अभियुक्त थाना ट्रोनिका सिटी के मुकदमें मे वाछित चल रहा है अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा की जा रही है।

आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त का विवरण –

सुहैल पुत्र शकील नि0_मुस्तफाबाद इंकरामनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 519/22 धारा 302/201/34 भादवि0 थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मुकदमा उपरोक्त के सहअभियुक्त

- 1.समीर उर्फ शेरखान पुत्र मुर्तजा नि0 टोली मोहल्ला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
- 2.सैफ अली पुत्र लियाकत अली नि0 उपरोक्त

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 01 शातिर किस्म के अभियुक्त को अवैध 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 12.09.2022 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि0 नन्हे पुत्र स्व0 छोटे लाल नि0 ग्राम सरलिया थाना पसगवा जिला लखीमपुर को 500 ग्राम गांजा के साथ बंद पड़े सिनेमा हाल के सामने सड़क पुख्ता ग्राम महाराजपुर के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. नन्हे पुत्र स्व0 छोटे लाल नि0 ग्राम सरलिया थाना पशगमा जिला लखीमपुर।

गिरफ<u>तारी घटनास्थल</u>

बंद पड़े सिनेमा हाल के सामने सड़क पुख्ता ग्राम महाराजपुर चौकी महाराजपुर दिनांक 02.09.2022 समय 11.40 बजे

बरामदगी का विवरण -

1. 500 ग्राम गांजा

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण-

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	नाम	जनपद	बनाम
			थाना		
1	0345/22	8/20 NDPS.ACT	लिकंरोड	गा0बाद	नन्हे

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री प्रताप सिहं है0का0 642 दिनेश कुमार है0का0 712 सतेन्द्र कुमार

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा दो शातिर तस्कर मय नाजायज देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 12.09.2022 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. सुमित पुत्र रामिकशन नि0 बी 87 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को 20 पव्ये देशी शराब हिरयाणा मार्का नाजायज 2. आबिद पुत्र मौ0 नईम नि0 नरेश गुप्ता का मकान शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को को 25 पव्ये देशी शराब हिरयाणा मार्का नाजायज कुल 45 पव्ये देशी शराब हिरयाणा मार्का के साथ ACC सीमेन्ट के पास ग्राम महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1. सुमित पुत्र रामकिशन नि0 बी 87 शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
- 2. आबिद पुत्र मौ0 नईम नि0 नरेश गुप्ता का मकान शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तारी घटनास्थल

ACC सीमेन्ट के पास ग्राम महाराजपुर चौकी महाराजपुर दिनांक घटना 12.09.2022 समय 01.15 बजे

बरामदगी का विवरण –

1. कुल 45 पोव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद	बनाम
1	343/22	60/63 Ex.ACT	लिकंरोड	गा0बाद	सुमित
2	197/22	4/25 A.ACT	लिंकरोड	गा0बाद	सुमित
3	495/21	60/63 Ex. ACT	साहिबाबाद	गा0बाद	सुमित
4	496/21	411/414 IPC	साहिबाबाद	गा0बाद	सुमित
5	344/22	60/63 Ex.ACT	लिकंरोड	गा0बाद	आबिद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री त्रिभुव सिंह हयांकी आबकारी उ0नि० श्री पंकज कुमार है0का0 422 यूसुफ अली का0 1829 पवन कुमार का0 दीपक कुमार आबकारी

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 02 शातिर किस्म के अभियुक्तो को अवैध 140 ग्राम नशीली गोली एल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 12.09.2022 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभि0गण 1- सुनील पुत्र राम बहादुर हाल पता खिल्ली के मकान में किरायेदार ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद मूल पता नेपाल को 60 ग्राम नशीली गोली एल्प्राजोलम पाउडर के साथ 2- शहजाद पुत्र सलीम नि0 पीपलहेड़ा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को 80 ग्राम नशीली गोली एल्प्राजोलम पाउडर के साथ भारद्वाज कट के पास से कुल अवैध 140 ग्राम नशीली गोली एल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:</u>-

- 2. सुनील पुत्र राम बहादुर हाल पता खिल्ली के मकान में किरायेदार ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद मूल पता नेपाल I
- 3. शहजाद पुत्र सलीम नि0 पीपलहेड़ा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तारी घटनास्थल

भारद्वाज कट चौकी औद्योगिक क्षेत्र दिनांक 12.09.2022 समय 00.55 बजे

बरामदगी का विवरण -

2. कुल 140 ग्राम नशीली गोली एल्प्राजोलम पाउडर

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण-

क्र0स0	मु0अ0सं0	धारा	नाम	जनपद	बनाम
			थाना		
1	341/22	8/ 22NDPS.ACT	लिकंरोड	गा0बाद	सुनील
2	342/22	8/ 22NDPS.ACT	लिकंरोड	गा0बाद	शहजाद
3	34/18	4/25 A.Act	लिंकरोड	गा0बाद	शहजाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या में शामिल दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक अदद कार हुन्डई आई-10, रजि0 नं0 DL2CAE6966, आला कत्ल एक बेस बॉल बैट व रंगीन कपडे का बोरा बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान विवेचना निस्तारण एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में मुझ प्रभारी निरीक्षक अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक 11.09.2022 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 519/22 धारा 302/201/34 भादवि बनाम बाईस्तबा समीर खान उर्फ शेर खान पुत्र मुर्तजा निवासी चौधरी चौक टोली मोहल्ला थाना लोनी गाजियाबाद में विवेचना व तलाश अभि0 मे अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो का पता लगाकर गिरफ्तारी एवं हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल व अन्य साक्ष्य संकलित किये गये, अभि0गण को बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय गाजियाबाद भेजा जा रहा है। विस्तृत विवरण कार्यवाही निम्न प्रकार है – दिनांक 11.09.22 को मुखविर खास की सूचना पर अभि0गण को मय हत्या की घटना में प्रयुक्त एक अदद कार हुन्डई आई-10, रजि0 नं0 DL2CAE6966 के गिरफ्तार किया गया तथा दौराने गिरफ्तारी अभि0गण की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक बेस बॉल बैट व लाश को फैकने मे प्रयुक्त रंगीन कपडे का बोरा कार की डिग्गी से बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पकडे गये अभि0 समीर खान उर्फ शेर खान उपरोक्त ने मृतक जान मौहम्मद की हत्या के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे जान मोहम्मद की पत्नी सुमायला से अवैध सम्बन्ध थे, जिसकी जानकारी जान मोहम्मद को हो गयी थी, जान मौहम्मद मुझसे नाराज चल रहा था और मेरी हत्या कराने के फिराक में था। जान मौहम्मद मेरे साथ कुछ कर पाता उससे पहले मैने अपने साथी सैफ अली पुत्र लियाकत अली व मुस्तफाबाद लोनी निवासी चचेरे साले शकील के पुत्र स्हेल के साथ मिलकर योजना बनाकर दिनांक 09.09.2022 को दिन में समय करीब 11.00 बजे फोन करके गिरि मार्केट में स्थित किराये के कमरे पर बुलाकर बेसबाल बैट से सिर में चोट मारकर हत्या कर दी। शव को छिपाने के इरादे से मृतक के हाथ पैर बांधकर शव को कपडे के बोरे में रखकर सैफ अली की उपरोक्त कार में लेकर बदरपुर के जंगल में जाकर शव को फेक दिया था तथा जान मौहम्मद के इलैक्ट्रिक स्कूटर को भी उसके शव के पास ही छोड दिया था। इलैक्ट्रिक स्कूटर को सुहेल चलाकर ले गया था तथा कार को सैफ चलाकर ले गया था तथा जान मौहम्मद के मोबाइल व सुहेल के मोबाइल जिससे कि फोन करके जान मौहम्मद को बुलाया था ,को राशिद अली गेट के पास नाले में कहीं फेक दिया था। सैफ अली ने पूछने पर बताया कि साहब समीर खान उर्फ शेर खान मेरा दोस्त है इसने मुझे बताया था कि जान मौहम्मद मुझे मारने की फिराक में है, आज हमें किसी भी तरह से जान मौहम्मद को मारना है। मैं समीर खान उर्फ शेर खान के बहकावे में आकर अपनी कार के लेकर समीर खान उर्फ शेर खान के पास गिरि मार्केट स्थित कमरे पर आ गया था तथा समीर खान उर्फ शेर खान का रिश्तेदार सुहेल भी मौजूद था,वहाँ हम लोगों

ने जान मौहम्मद को सुहेल के द्वारा फोन करके बुलाकर जान मौहम्मद की हत्या बेसबाल के बैट से सिर में चोट मारकर कर दी थी। मृतक जान मोहम्मद के शव को छिपाने के इरादे से मृतक के हाथ पैर बांधकर शव को कपड़े के बोरे में रखकर इसी कार में लेकर बदरपुर के जंगल में जाकर शव को फेंक दिया था तथा जान मोहम्मद के इलैक्ट्रिक स्कूटर को भी उसके शव के पास ही छोड़ दिया था। इलैक्ट्रिक स्कूटर को सुहेल चलाकर ले गया था तथा कार को मैं चलाकर ले गया था।अभि0गणों ने बताया कि मृतक के शव को जिस कपड़े के महरून व मेहदी रंग के बोरे में रखकर ले गये थे तथा जिस बेसबाल के बैट से मृतक के सिर में चोट मारकर हत्या की थी वो कार की डिग्गी में रखे हैं और हम दोनों हत्या में प्रयुक्त बेसबाल बैट व कपड़े के बोरे को यमुना नदी में फेकने के लिए जा रहे थे, कि पकड़े गये।

नाम पता अभियुक्त

- 1. अभियुक्त समीर खान उर्फ शेर खान पुत्र मुर्तजा निवासी चौधरी चौक टोली मोहल्ला थाना लोनी गा0बाद उम्र 28 वर्ष
- 2. अभियुक्त सैफ अली पुत्र लियाकत अली निवासी टोली मोहल्ला चाँद मस्जिद के पास थाना लोनी गा0बाद उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 519/22 धारा- 302/201/34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 09.09.2022 को दिन में समय करीब 11.00 बजे हमने अपने साथी के साथ योजना बनाकर बिजली फिटिंग के बहाने जान मोहम्मद को फोन करके गिरि मार्केट में स्थित किराये के कमरे पर बुलाकर बेसबाल बैट से उसके सिर में चोट मारकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द पाठक
- 2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार
- 3. उ0नि0 राजू तिवारी
- **4**. का0 469 विपुल शर्मा
- **5**. का० ३७८२ मुनेन्द्र

बरामदगी का विवरण-

- 1. हत्या मे प्रयुक्त एक अदद कार हुन्डई आई-10 रजि0 नं0 DL2CAE6966
- 2. आला कत्ल बेस बॉल बैट
- 3. शव को फैकने मे प्रयुक्त रंगीन कपडे का बोरा

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय व निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय द्वारा व निकट पर्यवेक्षण श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय द्वारा कुशल नैतृत्व थानाध्यक्ष श्री मुन्नेश कुमार की टीम द्वारा दिनांकः 12.09.2022 को सनफोर्ट स्कूल के पास चौकी क्षेत्र वर्धमानपुरम थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद दौराने चैिकंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन देखरेख शान्ति व्यवस्था दौराने 01 नफर अभियुक्त राजेश पुत्र पूरन निवासी झुग्गी झोपडी, मेरठ रोड मधुबन बापूधाम गा0बाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद दिल्ली से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरादमगी के सम्बन्ध मे थाना हाजा मु0अ0सं0-409/2022 धारा 411 भादिव बनाम राजेश उपरोक्त के पंजीकृत हुआ। अभियुक्तगण राजेश उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है

नाम पता अभियुक्त –

(1) राजेश पुत्र पूरन निवासी उदरनपुर अजमत नगर जनपद सम्भल हाल पता झुग्गी झोपडी गुलधर मेरठ रोड थाना मधुबन बापूधाम गा0बाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

- 1. मु0अ0सं0 020784/2022 धारा 379 भादवि E-थाना क्राइम ब्रांच नई दिल्ली।
- 2. मु0अ0सं0 409/2022 धारा 411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम जनपद गा0बाद। **बरामदगी**
- 1. अभियुक्त के कब्जे से दिल्ली से चोरी गयी एक अदद मोटरसाईकिल DL8SCJ8972 बरामद होना।

अपराध करने का तरीका

1. अभियुक्त द्वारा वाहनो की चोरी कर बेचकर अपने रिहायसी शौक पूरे किये जाते है।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

- 1. थानाध्यक्ष श्री मुन्नेश सिंह थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद।
- 2. उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा
- 3. हे0का0 1216 राजकरन
- 4. हे0का0 915 ऋषिपाल शर्मा
- 5. का0 1322 नवीन